फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मगना पिता उगमा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा वगैरह

बनाम

भूरा पिता रामचंद्र मीणा निवासी शक्ताजी का खेड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 88/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
08-04-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम शक्ताजी का खेड़ा प.ह. झंझोला आराजी सं. 591,595 कुल किता 02 रकबा 2.5171 हेक्टेयर भूमि स्थित है । अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें । प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी । पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है । ग्राम शक्ताजी का खेड़ा प.ह. झंझोला आराजी सं. 591,595 कुल किता 02 रकबा 2.5171 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है । कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें । पालना हेतु तहसीलदार काछोला को लिखा जावें । **तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है** । पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें । आदेश आज दिनांक 08/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/88/2024 दिनांक- 08/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार काछोला

विषय– प्र.सं. 88 / 2024 अनवान मगना पिता उगमा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, दूदा पिता उगमा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, चंपा पुत्र नीमा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, छीतर पुत्र हीरा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, देबी पुत्र गेगाराम मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, देबी पुत्र बाल्या मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, दुर्गालाल पुत्र प्यारा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, प्रभू पुत्र निमा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, मीरा पुत्री प्यारा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, मोल्या पत्नी स्वर्गीय प्यारा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, रतना पुत्र हीरा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, रामकरण पुत्र हीरा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, सुडी पुत्री प्यारा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा, हरला पुत्र हीरा मेघवाल निवासी शक्ताजी का खेड़ा बनाम भूरा पिता रामचंद्र मीणा निवासी शक्ताजी का खेड़ा, मांगीलाल पिता हजारी मीणा निवासी शक्ताजी का खेड़ा, सोराम पिता देवा मीणा निवासी शक्ताजी का खेड़ा, तहसीलदार काछोला की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम शक्ताजी का खेड़ा प.ह. झंझोला आराजी सं. 591,595 कुल किता 02 रकबा 2.5171 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे । **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है ।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner